कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–भू प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–3 / 50 / 2015 / 10–11 / 516 भोपाल, दिनांक 16-02-2017

प्रेषक :–

सुनील अग्रवाल (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश

प्रति,

श्री निशीथ सक्सेना, (भा.व.से.),
वरिष्ठ सहायक वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज,
जोरबाग रोड़, नई दिल्ली–110003

विषयः– **Visit of Sub-committee of FAC at Dodhan Dam site (Ken-Betwa Link Project) and Lower Ore Major Irrigation Project (Ken-Betwa Link Project) of Madhya Pradesh State- regarding.**

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8–8 / 2016–एफसी दिनांक 06 / 02 / 2017

–०–

महोदय,

विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा दौधन बांध परियोजना के प्रस्ताव के सम्बन्ध में 8 बिन्दुओं पर तथा लोअर ओर बांध परियोजना के प्रस्ताव पर 4 बिन्दुओं की जानकारी चाही गई है। इसके अतिरिक्त इस पत्र में यह भी उल्लेख है कि कमेटी द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण करने पर वन सस्य के आंकलन में त्रुटियां परिलक्षित हो रही हैं।

उपरोक्त जानकारियों पर राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय) नई दिल्ली द्वारा अपने पत्र क्रमांक 154–56 दिनांक 10 / 02 / 2017 से उपलब्ध कराई है जो मूलतः अग्रेषित है।

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली द्वारा दौधन बांध परियोजना के प्रस्ताव के सम्बन्ध में 8 बिन्दुओं पर जानकारी अपने पत्र के बिन्दु क्रमांक 1 से 8 में वर्णित की है। इसके अतिरिक्त लोअर ओर बांध परियोजना के प्रस्ताव पर 4 बिन्दुओं की जानकारी पत्र के पृष्ठ–3 पर अंकित बिन्दु क्रमांक 1 में संकलित है।

इसके अतिरिक्त दौधन बांध परियोजना के प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा पत्र दिनांक 06 / 02 / 2017 के बिन्दु 7 के सम्बन्ध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) से जानकारी चाही है जो प्राप्त होते ही पृथक से उपलब्ध करा दी जावेगी।

o/c

दौधन बांध निर्माण में प्रभावित वन क्षेत्रों में आने वाले वृक्षों की गिनती के सम्बन्ध में लेख है कि वृक्षों की गिनती सेम्पल प्लाट डालकर ज्ञात की गई है। प्रत्येक कक्ष में एक–एक 100X100 मीटर के सेम्पल प्लाट डालकर वृक्षों की प्रजातिवार गणना कर प्राप्त संख्या के आधार पर प्रभावित क्षेत्र में वृक्षों की कुल संख्या निकाली गई है। जिन–जिन कक्षों में वनों के घनत्व में काफी असमानता थी, उन कक्षों में दो सेम्पल प्लाट डालकर गणना की गई है।

प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

1- राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण का पत्र क्र/NWDA/ Tech-II/152/6/ 2016/154-56 दि. 10/02/2017
2- calculation of BC Ration (Point 1)
3- Site Inspection Rept. on KBLCP (Point 3)
4- Detailed Project Report of KBLP (Point 2&4)
5- Action Plan-I &II (Point 5)
6- Shape file of Lower Ore CD(2)

भवदीय

16/2/17

(सुनील अग्रवाल)

Received

पृ. क्रमांक/एफ–3/50/2015/10–11/517

भोपाल, दिनांक 16-02-2017

प्रतिलिपिः–

अधिशासी अभियंता, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार) अन्वेषण प्रभाग, ए–3, सहयोग परिसर, ई–8 शाहपुरा, मुख्य मार्ग, भोपाल (म0प्र0)–462039 की ओर उनके पत्र पत्र क्रमांक/NWDA/Tech-II/152/6/ 2016/154-56 दिनांक 10/02/2017 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।

16/2/17

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

O/C